| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/टी.ए./6131/2004/नागौर**<br>**दलाराम बनाम रामेदव** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **18-12-2024** | **<u>खण्ड–पीठ</u>**<br>**श्री आर.डी. मीणा, सदस्य**<br>**श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य**<br><br>**<u>उपस्थिति</u>ः**<br>श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।<br>श्री डूंगर सिंह राठौड, अधिवक्ता अप्रार्थी<br>**————**<br><br>**निर्णय**<br><br>हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लाडनू जिला नागौर द्वारा पारित प्रकरण सं0 55/2002 में पारित आदेश दिनांक 29–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>2– इस निगरानी में खण्डपीठ द्वारा इसलिए सुनवाई की गई है क्योंकि इन्हीं पक्षकारान के मध्य खण्डपीठ केसमक्ष अपील सं0 5403/2003 'दलाराम बनाम रामदेव' की भी सुनवाई की गई है। उक्त निगरानी एवं अपील एक ही वाद से संबंधित है।<br>3– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–12–2002 से दावा वादी डिक्री किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–12–2002 से दावा वादी डिक्री किये जाने के पश्चात परीक्षण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) लाडनू ने पत्र के द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 11–12–2002 में मौजा सीवां के खसरा नंबर 646 रकबा 35 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी अकेले वादी रामदेव पुत्र बीमा राम जाट के नाम घोषित की जाकर कानाराम पुत्र बीरमाराम का नाम रेकार्ड से हटाने का आदेश पारित हुआ है जबकि इस खसरा की खातेदारी में कानाराम की जगह दलाराम पुत्र रामूराम का नाम दर्ज है। क्या दलाराम का नाम भी रेकार्ड से हटाया जावे। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/टी.ए./6131/2004/नागौर**<br>**दलाराम बनाम रामेदव** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | बाद आदेश दिनांक 29–7–2004 द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 151 152 सीपीसी स्वीकार कर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–12–2002 में 'कानाराम पुत्र बीरमाराम' के स्थान पर 'दलाराम पुत्र रामूराम' का नाम प्रतिस्थापित/ दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया। उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के आदेश दिनांक 29–7–2004 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।<br><br>4– योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।<br><br>5– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी को निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार है। अप्रार्थी सं0 1 ने वाद में प्रार्थी को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। अगर उपखण्ड अधिकारी को पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–12–2002 मे संशोधन आदेश दिनांक 29–7–2003 पारित करने से पूर्व उन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः परीक्षण न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त से बाहर जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी ने निगराधीन आदेश में यह उल्लेख नहीं किया है कि उनके द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 11–12–2002 में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है। उपखण्ड अधिकारी के यहां अप्रार्थी सं0 1 ने प्रस्तुत वाद में कोई संशोधन नहीं कराया है। अतः दावे में संशोधन कराये बिना निर्णय में संशोधन नहीं किया जा सकता। उपखण्ड अधिकारी को धारा 151 व 152 सीपीसी में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आक्षेपित आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लाडनू का आदेश दिनांक 29–7–2003 निरस्त किया जावे।<br><br>6– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–12–2002 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी/टी.ए./6131/2004/नागौर**<br>**दलाराम बनाम रामेदव** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को पारित किया जाकर तहसीलदार लाडनू को डिक्री की पालना करने के लिए निवेदन किया था किन्तु तहसीलदार, लाडनू ने विवादित आराजी की खातेदारी देखने के बाद ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी वास्ते निर्णय दिनांक 11–12–2002 में संशोधन करने पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 29–7–2003 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय में संशोधन करने का जो आदेश पारित किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br>7– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस निगरानी से संबधित मूल अपील सं0 5403/2003 का निस्तारण निर्णय दिनांक 18–12–2024 द्वारा किया गया है जिसमें अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण सं0 163/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27–10–2004 को खारिज कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए गुणावगुण पर निर्णय करने के लिए प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।<br>8– प्रस्तुत निगरानी उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के द्वारा प्रार्थना पत्र धरा 151 व 152 सीपीसी पर पारित संशोधन आदेश दिनांक 29–7–2003 जिसके द्वारा उनके निर्णय दिनांक 11–12–2002 में संशोधन करने का आदेश दिया है, के विरूद्ध पेश की है। चूंकि अपीलीय न्यायालय के मूल निर्णय दिनांक 11–12–2002 के सम्बन्ध में अभी अपीलीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई किया जाना शेष है, अतः उक्त निर्णय दिनांक 11–12–2002 में किये गये संशोधन आदेश दिनांक 29–7–2003 पर सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी निष्प्रभावी (infructuous) होने से खारिज योग्य है।<br>9– परिणामतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(पुरूषोत्तम लाल सैनी)** **(आर0डी0मीणा)**<br>**सदस्य** **सदस्य** | |